न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **123/2024** GCMS 2024/229

वादीगण :–

1. पूसाराम उर्फ पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरल लाल बेवा चेला दत्तक पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी राणासर हाल निवासी गुढ़ा गोड़ जी, तनटोड़ी उदयपुरवाटी झुंझुनू

प्रतिवादीगण :–

1. बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल
2. राधेश्याम पुत्र रामेश्वरलाल
3. हरिप्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल
   जाति समस्त स्वामी निवासीयान सभी आनंदपुरा मेघा हाइवे रोड़, राणासर तहसील कुचामन सिटी
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा बाबत् अधिकारों की घोषणा व बंटवारा रिकार्ड दुरूस्ती और स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण कुमार गौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री अशोक पुरी प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से।

–:निर्णय :–

दिनांकः– 20/02/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम राणासर के पटवार हल्का आनंदपुरा भूअभिलेखनि जिलिया तहसील कुचामन के खसरा नंबर 220 रकबा 1.2900 है. बारानी द्वितीय व ख.नं. 845/217 में 0.28 है. बारानी द्वितीय कुल रकबा 1.5700 है. भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जिसके पुराने खन. 84 है। जि[illegible] का 1/4 हिस्सा आया है और प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का 3/4 हिस्सा [illegible] हुआ घर का स्नेह व प्यार का नाम पूसाराम है एवं बाहर का नाम पु[illegible] है। वादी व प्रतिवा[illegible] 1 से 3 सगे मां जाये भाई है और रामेश्वरलाल की संता[illegible]। रामेश्वरलाल जी [illegible] जीवन काल में उक्त राजस्व भूमि का एक रजिस्टर्ड बेचाननामा वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पक्ष में दिनांक 02.09.19883 को निष्पादित किया है। उक्त रजिस्टर्ड बैचान करते समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वादी के पिता ने बैचाननामा में वादी का प्यार का घर का बोलता नाम पूसाराम अंकित कर दिया है। वादी का नाम पुरूषोतम उर्फ पूसाराम है। वादी मोहनदास जी चेला श्री भागीरथ दास जी जाति स्वामी निवासी गुढ़ागौड़ जी तनटीडी तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनु वाले महाराज का चेला है। वादी शिष्य के रूप में काफी लंबे समय से मोहनदास जी महाराज के सानिध्य में रहा है। मोहनदास जी महाराज अविवाहित अकेले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में वादी को शिष्य होने से पुत्र स्वरूप मानते थे, जिससे उन्होंने वादी के पक्ष में एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 19.02.1997 को निष्पादित कर अपना गोद पुत्र चेला के रूप में वादी को गोद ले लिया है। जिसका उल्लेख गोदनामा में किया हुआ है। रजिस्टर्ड गोदनामा में वादी का नाम पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरदास अंकित है। वादी को गोद चेला लेने के बाद वादी अपनी वल्दीयत में अपने नैसर्गिक पिता रामेश्वरदास के स्थान पर मोहनदास जी का नाम अंकित करने लग गया है जिससे 1997 के बाद के दस्तावेज में पुरूषोतम पुत्र मोहनदास अंकित हो गया है। वादग्रस्त आराजियान का बंटवारा करवाने के लिए वादी में राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त कर अपने भाइयों प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त खसरान की भूमि को किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति को अंतरण बेचान, बक्शीश या रहन नहीं करें। प्रतिवादी सं. 4 को भूमिधारी होने से वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 17.08.24 को राजस्व रिकॉर्ड से वादग्रस्त खसरान की नकलें प्राप्त करने व अवलोकन करने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 बंटवारा करने हेतु कहने पर एक वादी का हिस्सा अलग घोषित करवाने का कहने पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा इंकार करने पर मुकाम राणासर में पैदा हुआ जो कि आज दिन तक लगातार हो रहा है। मालीयात दावा बैगरज कोर्ट फीस अख्तियार, समायत बाबत् अधिकारों की घोषणा, बंटवारा रिकॉर्ड दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु नियमानुसार कोर्ट फीस स्टांप पर पेश किया गया है।

(अ) डिक्री बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् अधिकारों की घोषणा व बंटवारा का इस आशय की सादिर फरमाया जावें कि वादग्रस्त ख.नं. 220 रकबा 1.29 है. बारानी व ख.नं. 845/217 रकबा 0.28 है. कृषि भूमि कुल रकबा 1.5700 है. में से वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर जरिये मिट्स एंड बाउंड्स के बंटवारा किया जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

(ब) बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् [illegible] रूस्ती की इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त ख.नं. 220 रकबा 1.29 है. बारानी द्वितीय व ख.नं. 845/217 रकबा 0.28 है. बारानी द्वितीय कृषि भूमि कुल रकबा [illegible]00 है. में वादी का नाम पूसाराम पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर पूसाराम उर्फ पुरूष[illegible] पुत्र रामेश्वरला गोद चेला दत्तक पुत्र मोहनदास अंकित किया जावें।

(स) बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावें 845/217 रकबा 0.28 है. बारानी द्वितीय कृषि भूमि व ख.नं. 220 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

29 है. बारानी द्वितीय कृषि भूमि कुल रकबा 1.5700 है. की वादग्रस्त आराजियान की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति को अंतरण बैचान/बक्शीश या रहन नहीं करें।

(द) अन्य अनुतोष जो न्यायालय वादी के पक्ष में उचित समझें प्रतिवादीगण को दिलाये जाने की इस्तदुआ दी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश करने हेतु No Objection किया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 2.9.1983 के बैचान द्वारा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए है। जिसका वादी पुसाराम स्वयं ने वाद में अंकित किया है। अतः बैचान से आयी हुई भूमि में उपनाम जोड़ा जाना अस्वीकार है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त ख.नं. 220 रकबा 1.29 है. बारानी द्वितीय व ख.नं. 845/217 रकबा 0.28 है. कृषि भूमि कुल रकबा 1.5700 है. में से वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाना एवं वादी का नाम पूसाराम पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर पूसाराम उर्फ पुरूषोतम पुत्र रामेश्वरलाल गोद चेला दत्तक पुत्र मोहनदास तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से वादी वाद पत्र अस्वीकार योग्य पाया गया।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:40 IST
Reason: SelfAttested